न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह आरएएस

नं0 – 76/2021 (2021/122)

सुनीलकुमार पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट पूनिया निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. उम्मेदसिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट पूनिया निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. अनिलकुमार पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट पूनिया निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ममता पुत्री उम्मेदसिंह जाति जाट पूनिया निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादी

वकील श्री सुरजीत बिजारणिया : प्रतिवादी सं0 1 ता 3

निर्णय दिनांक : 19/7/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 15 एएमएस के खाता सं0 9/10 के मु0नं0 42 के किला नं0 14/1, 16, 17, 24, 25 मु0नं0 47 किला नं0 5/1, कुल किता 6 की 1.226 है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी उम्मेदसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार चक 17 एएमएस के खाता सं0 11/12 के मु0नं0 13 के किला नं0 11, 12, 19, 20, मु0नं0 14 के किला नं0 5/1, 6/1, 14/1, 15, 16, मु0नं0 31 के किला नं0 11/1, 12/1, 18/1, 23, 24, 25/1 कुल किता 15 की 2.545 है0 नहरी 2.254 है0, 0.266 है0 बारानी, 0.025 है0 गै0मु0 खाला, की खातेदारी भी प्रतिवादी उम्मेदसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक खातेदारी है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें वादभूमि जो प्रतिवादी सं0 1 [illegible] के नाम से दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक [illegible] सं0 1 व 2 के पक्ष में तर्क कर दिया जिस पर कुल वादभूमि [illegible] के कब्जा काश्त में चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में कुल वादभूमि तन्हा प्रतिवादी सं0 1 [illegible] के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी हकों पर प्रति[illegible]व पड़ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी सुनीलकुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 15 एएमएस के खाता सं0 9/10 सम्वत् 2076 से 79 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग चक 15 अमरसिंह सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 17 एएमएस खाता सं0 11/112 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 17 अमरसिंह सम्वत् 2046 से 49 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 17 एएमएस सम्वत् 2058 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 17 एएमएस सम्वत् 2058 प्रदर्श 6, शपथ पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 हिन्दू है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक खातेदारी है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है एवं वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें वादभूमि जो प्रतिवादी सं0 1 उम्मेदसिंह के नाम से दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में तर्क कर दिया जिस पर कुल वादभूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने चक 15 व 17 एएमएस के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग चक 15 अमरसिंह सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 17 अमरसिंह सम्वत् 2046 से 49 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 17 एएमएस सम्वत् 2058 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 17 एएमएस सम्वत् 2058 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये है उनके वाद भूमि वादी के दादा श्योकरण वल्द हीरा के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं मुताबिक प्रस्तुत वारिसान शपथ पत्र उम्मेदसिंह के वारिसान/सदस्यों में पत्नि मोहरा देवी, पुत्री ममता कुमारी, दो पुत्र अनिल कुमार व सुनिल कुमार [illegible] नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये [illegible] है।

अत : वाद वादी [illegible] है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक [illegible] सं0 9/10 के मु0नं0 42 के किला नं0 14/1, 16, 17, 24, 25 मु0नं0 47 किला [illegible] 5/1, कुल किता 6 की 1.226 है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी उम्मेदसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार चक 17 एएमएस के खाता सं0 11/12 के मु0नं0 13 के किला नं0 11, 12, 19, 20,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मु0नं0 14 के किला नं0 5/1, 6/1, 14/1, 15, 16, मु0नं0 31 के किला नं0 11/1, 12/1, 18/1, 23, 24, 25/1 कुल किता 15 की 2.545 है0 नहरी 2.254 है0, 0.266 है0 बारानी, 0.025 है0 गै0मु0 खाला, की खातेदारी भी प्रतिवादी उम्मेदसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि मे प्रतिवादीया सं0 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राज.)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:50 IST
Reason: SelfAttested